

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर



अध्यापन योजना

सत्र — 2025—26



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा

कक्षा – 9वीं एवं 10वीं

:: अध्यापन एवं परीक्षा योजना ::

स. क्र.	विषय	विषय कोड	कुल अंक	सैद्धांतिक पूर्णांक	प्रायोगिक/प्रायोजना पूर्णांक	सैद्धांतिक उत्तीर्णांक	प्रायोगिक/प्रायोजना उत्तीर्णांक
1	2	3	4	5	6	7	8
	बाह्य परीक्षा						
(अ)	भाषा समूह						
1.	भाषा- 1 – हिन्दी	(070)	100	75	25	25 अंक	08 अंक
2.	भाषा- 2 – अंग्रेजी	(080)	100	75	25	25 अंक	08 अंक
3.	भाषा- 3 – संस्कृत एवं अन्य भाषाएँ*	(090)	100	75	25	25 अंक	08 अंक
(ब)	मुख्य विषय						
	(4) गणित	(100)	100	75	25	25 अंक	08 अंक
	(5) विज्ञान	(200)	100	75	25	25 अंक	08 अंक
	(6) सामाजिक विज्ञान	(300)	100	75	25	25 अंक	08 अंक
(स)	दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु						
	(7) संगीत	(161)	100	75	25	25 अंक	08 अंक
	(8) ड्राईंग	(162)	100	75	25	25 अंक	08 अंक

(अ) भाषा समूह

- भाषा-1 :- हिन्दी (070)
- भाषा-2 :- अंग्रेजी (080)
- भाषा-3 :- (दिये गये विकल्प में से कोई एक भाषा का चयन किया जावे।)
(i) संस्कृत (090), *(ii) मराठी (071), (iii) उर्दू (072), (iv) पंजाबी (073), (v) सिन्धी (074),
(vi) बंगाली (075), (vii) गुजराती (076), (viii) तेलगू (077) (ix) तमिल (078),
(x) मलयालम (079), (xi) कन्नड (081), (xii) उड़िया (082)।

विशेष नोट :- (i) छात्र उपरोक्तानुसार तीनो भाषाओं में से किसी एक भाषा के स्थान पर नवीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम में से एक विषय का चयन कर अध्ययन कर सकता है। नवीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम हाईस्कूल की विस्तृत जानकारी पृष्ठ क्रमांक 14-16 पर उपलब्ध है।



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

पाठ्यपुस्तकों की जानकारी कक्षा – 9वीं एवं 10वीं

विषय	कक्षा 9वीं	कक्षा 10वीं	सैद्धांतिक अंक	प्रायोगिक/ प्रायोजना अंक	कुल अंक
भाषा समूह	1. हिन्दी	1. हिन्दी	75	25	100
	2. अंग्रेजी (Flight)	2. अंग्रेजी (Flight)	75	25	100
	3. संस्कृत (सलिला) एवं अन्य भाषाएँ *	3. संस्कृत (श्यामला) एवं अन्य भाषाएँ *	75	25	100
मुख्य विषय	4. गणित	4. गणित	75	25	100
	5. विज्ञान	5. विज्ञान	75	25	100
	6. सामाजिक विज्ञान	6. सामाजिक विज्ञान	75	25	100

नोट :- उक्त पुस्तकें छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर द्वारा मुद्रित की गयी है।



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

कक्षा 9वीं एवं 10वीं – प्रायोजना कार्य हेतु मूल्यांकन योजना

विषय –हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित एवं सामाजिक विज्ञान

प्रायोजना कार्य अंक विभाजन

1. सत्रगत किये गये कार्य का प्रायोजना रिकार्ड एवं किसी एक प्रायोजना पर आधारित प्रश्नावली	20 अंक
2. प्रायोजना पर आधारित मौखिक परीक्षा (Viva)	05 अंक
कुल अंक	25 अंक

प्रायोजना कार्य का मूल्यांकन निम्न बिन्दुओं के आधार पर किया जाएगा :

1. विषयवस्तु की समझ पर।
2. स्वतंत्र चिंतन पर।
3. तार्किक रूप से विषयवस्तु के विश्लेषण पर।

विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक में उल्लेखित प्रायोजना/क्रियाकलाप का विषय शिक्षक के सहयोग से निम्नानुसार रिकार्ड तैयार करेंगे –

1. समस्या का चयन
2. उद्देश्य
3. आवश्यक सामग्री
4. प्रक्रिया
5. तर्क/तुलना/विश्लेषण
6. निष्कर्ष
7. समस्यायें एवं निदान

टीप :- प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा पाठ्यपुस्तक में उल्लेखित प्रायोजनाओं अनुसार सत्रगत किये गये कार्य में से किन्ही तीन प्रायोजना का उल्लेख प्रायोजना रिकार्ड में किया जाना अनिवार्य है। इन तीन में से किसी एक प्रायोजना पर आंतरिक मूल्यांकन अंक विभाजन योजना अनुसार किया जावे।
("प्रत्येक विषय में 01 प्रोजेक्ट पर्यावरण से संबंधित अवश्य करवायें")



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर
हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा

:: अध्यापन योजना ::

हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा हेतु निम्नानुसार विषयों का चयन करना होगा :-

“अ” भाषा समूह – भाषा समूह में कुल तीन भाषाओं के विकल्प हैं जिसमें से दो भाषा का चयन किया जाना अनिवार्य है।

नोट – नवीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्ययनरत विद्यार्थी चयनित दो भाषाओं में से एक भाषा के स्थान पर नवीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम के 10 ट्रेड में से किसी एक ट्रेड का अध्ययन करेगा। अर्थात् ऐसे छात्रों को एक भाषा का ही चयन करना होगा। इसके अतिरिक्त छात्र छोड़ी गयी भाषा को अतिरिक्त विषय के रूप में अध्ययन कर सकता है।

टीप :- नवीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम हायर सेकण्डरी की विस्तृत जानकारी पृष्ठ क्रमांक 17 एवं 18 पर उपलब्ध है।

“ब” वैकल्पिक समूह– I. सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम (संकाय समूह) – निम्न संकाय समूह में से किसी एक संकाय का चयन करना होगा –

1. कला संकाय, 2. विज्ञान संकाय, 3. वाणिज्य संकाय,
4. कृषि संकाय, 5. ललित कला संकाय, 6. गृह विज्ञान संकाय

“स” अतिरिक्त अनिवार्य विषय– पर्यावरण अध्ययन

विशेष :- उक्त पाठ्यक्रम के अतिरिक्त छात्रों को शारीरिक शिक्षा एवं नैतिक शिक्षा का विद्यालय स्तर पर अध्ययन कराया जावे जिसका समय सारिणी में एक कालखण्ड अनिवार्य रूप से निर्धारित किया जाए।

बाह्य-परीक्षा

अ – भाषा समूह

1. प्रत्येक विद्यार्थी निम्न भाषा समूह में से किन्ही दो भाषा का चयन कर सकता है :-

1. (i) भाषा 1 – हिन्दी (010)

2. (ii) भाषा 2 – अंग्रेजी (020)

3. भाषा 3 – (दिये गये विकल्प में से किसी एक भाषा का चयन किया जायें।)

- (iii) संस्कृत (030) तथा (iv) मराठी (031) (v) उर्दू (032) (vi) पंजाबी (033) (vii) सिंधी (034) (viii) बंगाली (035) (ix) गुजराती (036) (x) तेलगू (037) (xi) तमिल (038) (xii) मलयालम (039) (xiii) कन्नड़ (041) (xiv) उड़िया (042)



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

“ब” वैकल्पिक विषय

(I) सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम

संकाय समूह – विद्यार्थी को निम्न में से किसी एक संकाय एवं उससे संबंधित विषयों का निम्नानुसार चयन करना होगा।

1. कला संकाय– विद्यार्थी निम्न 06 विषयों में से किन्ही तीन विषयों का चयन कर सकता है :-

1. इतिहास (101) 2. भूगोल (102) 3. राजनीति शास्त्र (103) 4. समाजशास्त्र (104)
5. मनोविज्ञान (105) 6. अर्थशास्त्र (303)

अथवा

विद्यार्थी द्वारा उपरोक्त क्रमांक-01 से 06 तक में से कोई 02 विषय तथा निम्न वैकल्पिक विषयों में से कोई 01 विषय का चयन कर सकता है :-

- (i) भारतीय संगीत (161) (ii) ड्राइंग एवं डिजाइनिंग (162) (iii) नृत्य कला (163)
- (iv) स्टेनोटाइपिंग (164) (v) कृषि (165) (vi) गृहविज्ञान- एनाटामी फिजियोलॉजी एण्ड हाईजिन (168) (vii) वाणिज्यिक गणित (169) (viii) कम्प्यूटर एप्लीकेशन (151)
- (ix) गणित (204) (x) संस्कृत (030)

2. विज्ञान संकाय

- (i) भौतिकी (201) (ii) रसायन शास्त्र (202)
- तथा (iii) जीवविज्ञान (203) या गणित (204) में से कोई एक विषय अतिरिक्त विषय गणित (804) या जीवविज्ञान (803)

3. वाणिज्य संकाय –

- (i) लेखाशास्त्र (301) (ii) व्यवसाय अध्ययन (302)

वैकल्पिक विषय–निम्न में से कोई एक:–(iii) अर्थशास्त्र (303)

- (iv) स्टेनोटाइपिंग (164) (v) वाणिज्यिक गणित (169) (vi) गणित (204)
- (vii) कम्प्यूटर एप्लीकेशन (151) (viii) इण्डस्ट्रीयल आर्गेनाइजेशन (332)
- अतिरिक्त विषय वाणिज्यिक गणित (869)

4. कृषि संकाय

- (i) कृषि विज्ञान के मूल तत्व तथा गणित (410)
- (ii) फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र (420)
- (iii) पशुपालन, दुग्ध प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन एवं कुक्कुट पालन (430)

5. ललित-कला संकाय

- (i) ड्राइंग एण्ड पेंटिंग (510)
- (ii) स्टिल लाईफ एण्ड पेंट मेकिंग (520)
- (iii) हिस्ट्री ऑफ इण्डियन आर्ट & वर्ल्ड आर्ट (530)



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

6. गृह विज्ञान संकाय

- (i) आहार एवं पोषण (610)
- (ii) शरीर क्रिया विज्ञान एवं प्राथमिक चिकित्सा (620)
- (iii) विज्ञान के तत्व (631)

II. नवीन व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम :- सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ाये जाने वाले प्रत्येक संकाय के साथ विद्यार्थी नवीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पढ़ाये जाने वाले 10 विषयों में से कोई एक विषय का चयन एक भाषा के स्थान पर कर सकता है। तत्संबंधी विस्तृत जानकारी पृष्ठ क्र० 15 से 19 पर उपलब्ध है।

“स” अतिरिक्त अनिवार्य विषय— पर्यावरण अध्ययन —

पर्यावरण विषय का अध्ययन—अध्यापन — माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार पर्यावरण विषय का अध्ययन/अध्यापन मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में करवाया जाता है। पूर्व वर्षानुसार पर्यावरण विषय के पाठ्यक्रम एवं परीक्षाएँ संबंधी निर्देश यथावत् रहेंगे।

विशेष :- उक्त पाठ्यक्रम के अतिरिक्त छात्रों को शारीरिक शिक्षा एवं नैतिक शिक्षा का विद्यालय स्तर पर अध्ययन कराया जावे जिसका समय—सारिणी में एक कालखण्ड अनिवार्य रूप से निर्धारित किया जाये। पर्यावरण अध्ययन की मूल्यांकन योजना पूर्ववत् यथावत् रहेगी।

—00—



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

पाठ्यपुस्तकों की जानकारी कक्षा - 11वीं

स. क्र.	विषय	विषय कोड	पुस्तकों के नाम	सैद्धांतिक अंक	प्रायोजना/ प्रायोगिक अंक	कुल अंक
1.	हिन्दी	(010)	1. आरोह भाग-01 2. वितान भाग-01	80	20	100
2.	अंग्रेजी	(020)	1. हार्नबिल (Hornbill) 2. स्नेप शॉट्स (Snap shots)	80	20	100
3.	संस्कृत	(030)	1. भास्वती प्रथमो: भाग:	80	20	100
4.	इतिहास	(101)	1. विश्व इतिहास के कुछ विषय	80	20	100
5.	भूगोल	(102)	1. भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत 2. भारत : भौतिक पर्यावरण 3. भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग-1	70	30	100
6.	राजनीतिशास्त्र	(103)	1. भारत का संविधान - सिद्धांत और व्यवहार 2. राजनीतिक सिद्धांत	80	20	100
7.	समाजशास्त्र	(104)	1. समाजशास्त्र परिचय 2. समाज का बोध	80	20	100
8.	मनोविज्ञान	(105)	1. मनोविज्ञान का परिचय	70	30	100
9.	भौतिकशास्त्र	(201)	भौतिकी भाग-1 तथा 2	70	30	100
10.	रसायनशास्त्र	(202)	रसायनशास्त्र भाग-1 तथा 2	70	30	100
11.	जीवविज्ञान	(203)	जीवविज्ञान	70	30	100
12.	गणित	(204)	गणित	80	20	100
13.	लेखाशास्त्र	(301)	1. लेखाशास्त्र भाग-01 2. लेखाशास्त्र भाग-02	80	20	100
14.	व्यवसाय अध्ययन	(302)	1. व्यवसाय अध्ययन	80	20	100
15.	अर्थशास्त्र	(303)	1. अर्थशास्त्र में सांख्यिकी 2. भारतीय अर्थशास्त्र का विकास	80	20	100

नोट :-1. उक्त पुस्तकें छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर द्वारा मुद्रित की गयी थी।



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

पाठ्यपुस्तकों की जानकारी कक्षा – 12वीं

स. क्र.	विषय	विषय कोड	पुस्तकों के नाम	सैद्धांतिक अंक	प्रायोजना/ प्रायोगिक अंक	कुल अंक
1.	हिन्दी	(010)	1. आरोह भाग-02 2. वितान भाग-02	80	20	100
2.	अंग्रेजी	(020)	1. फ्लेमिंगो (Flamingo) 2. विस्टास (Vistas)	80	20	100
3.	संस्कृत	(030)	1. भास्वती – द्वितीयः भागः	80	20	100
4.	इतिहास	(101)	1. भारतीय इतिहास के कुछ विषय-I 2. भारतीय इतिहास के कुछ विषय-II 3. भारतीय इतिहास के कुछ विषय-III	80	20	100
5.	भूगोल	(102)	1. मानव भूगोल के मूल सिद्धांत 2. भारत : लोग और अर्थव्यवस्था 3. भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य	70	30	100
6.	राजनीतिशास्त्र	(103)	1. समकालीन विश्व राजनीति 2. स्वतंत्र भारत में राजनीति	80	20	100
7.	समाजशास्त्र	(104)	1. भारतीय समाज 2. भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास	80	20	100
8.	मनोविज्ञान	(105)	1. मनोविज्ञान	70	30	100
9.	भौतिकशास्त्र	(201)	भौतिकी भाग-1 तथा 2	70	30	100
10.	रसायनशास्त्र	(202)	रसायनशास्त्र भाग-1 तथा 2	70	30	100
11.	जीवविज्ञान	(203)	जीवविज्ञान	70	30	100
12.	गणित	(204)	गणित भाग-1 तथा 2	80	20	100
13.	लेखाशास्त्र	(301)	1. लेखाशास्त्र भाग-01 2. लेखाशास्त्र भाग-02	80	20	100
14.	व्यवसाय अध्ययन	(302)	1. प्रबंध के सिद्धांत तथा कार्य 2. व्यवसाय वित्त तथा विपणन	80	20	100
15.	अर्थशास्त्र	(303)	1. व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय 2. समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय	80	20	100

नोट :-1. उक्त पुस्तकें छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर द्वारा मुद्रित की गयी थी।



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

हायर सेकण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा योजना वर्ष 2025-26

कक्षा - 11वीं एवं 12वीं

:: परीक्षा-योजना ::

I. बाह्य परीक्षा

स. क्र.	विषय	विषय कोड	कुल अंक	सैद्धांतिक अंक	प्रायोगिक/ प्रायोजना अंक	सैद्धांतिक उत्तीर्णांक	प्रायोगिक/ प्रायोजना उत्तीर्णांक
1	2	3	4	5	6	7	8
अ.	भाषा समूह (किन्ही दो भाषा का चयन करें जिसमें से एक भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी लेना अनिवार्य है।)						
1.	(i) हिन्दी	(010)	100	80	20	26 अंक	07 अंक
2.	(ii) अंग्रेजी	(020)	100	80	20	26 अंक	07 अंक
3.	(iii) संस्कृत तथा अन्य भाषाएँ (iv to xiv)**	(030)	100	80	20	26 अंक	07 अंक
			100	100	—	33 अंक	—

**टीप - अन्य भाषाओं की कोड संबंधी जानकारी पृष्ठ क्र०-04 पर है।

ब.	संकाय समूह -						
(1)	कला संकाय						
	• भूगोल	(102)	100	70	30	23 अंक	10 अंक
	• मनोविज्ञान	(105)	100	70	30	23 अंक	10 अंक
	• इतिहास	(101)	100	80	20	26 अंक	07 अंक
	• राजनीति शास्त्र	(103)	100	80	20	26 अंक	07 अंक
	• समाजशास्त्र	(104)	100	80	20	26 अंक	07 अंक
	• अर्थशास्त्र	(303)	100	80	20	26 अंक	07 अंक
	• संस्कृत	(030)	100	80	20	26 अंक	07 अंक
	• गणित	(204)	100	80	20	26 अंक	07 अंक
	• कम्प्यूटर एप्लीकेशन	(151)	100	75	25	25 अंक	08 अंक
	• गृहविज्ञान (कला)	(168)	100	75	25	25 अंक	08 अंक
	• भारतीय संगीत	(161)	100	50	50	17 अंक	17 अंक
	• ड्राइंग एवं डिजाइनिंग	(162)	100	100	—	33 अंक	—
	• नृत्यकला	(163)	100	100	—	33 अंक	—
	• स्टेनो टायपिंग	(164)	100	100	—	33 अंक	—
	• कृषि	(165)	100	75	25	25 अंक	08 अंक
	• वाणिज्यिक गणित	(169)	100	100	—	33 अंक	—



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

स. क्र.	विषय	विषय कोड	कुल अंक	सैद्धांतिक अंक	प्रायोगिक/ प्रायोजना अंक	सैद्धांतिक उत्तीर्णांक	प्रायोगिक/ प्रायोजना उत्तीर्णांक
(2)	विज्ञान संकाय						
	• भौतिकशास्त्र	(201)	100	70	30	23 अंक	10 अंक
	• रसायनशास्त्र	(202)	100	70	30	23 अंक	10 अंक
	वैकल्पिक विषय						
	• जीवविज्ञान	(203)	100	70	30	23 अंक	10 अंक
	• गणित	• गणित	(204)	80	20	26 अंक	07 अंक
टीप :- विज्ञान संकाय के विद्यार्थी जीव विज्ञान (803) या गणित (804) अतिरिक्त विषय के रूप में ले सकते हैं।							
(3)	वाणिज्य संकाय						
	• लेखाशास्त्र	(301)	100	80	20	26 अंक	07 अंक
	• व्यवसाय अध्ययन	(302)	100	80	20	26 अंक	07 अंक
	• अर्थशास्त्र	(303)	100	80	20	26 अंक	07 अंक
	• कम्प्यूटर एप्लीकेशन	(151)	100	75	25	25 अंक	08 अंक
	• स्टेनोग्राफिंग	(164)	100	100	—	33 अंक	—
	• वाणिज्यिक गणित	(169)	100	100	—	33 अंक	—
	• गणित	(204)	100	80	20	26 अंक	07 अंक
	• इण्डस्ट्रीयल आर्गनाइजेशन	(332)	100	100	—	33 अंक	—
टीप :- वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी वाणिज्यिक गणित (869) अतिरिक्त विषय के रूप में ले सकते हैं।							
(4)	कृषि संकाय						
	• कृषि विज्ञान के मूलतत्त्व तथा गणित	(410)	100	75	25	25 अंक	08 अंक
	• फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र	(420)	100	75	25	25 अंक	08 अंक
	• पशुपालन, दुग्ध प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन एवं कुक्कुट पालन	(430)	100	75	25	25 अंक	08 अंक

(Handwritten signature)




छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

स. क्र.	विषय	विषय कोड	कुल अंक	सैद्धांतिक अंक	प्रायोगिक/ प्रायोजना अंक	सैद्धांतिक उत्तीर्णांक	प्रायोगिक/ प्रायोजना उत्तीर्णांक
1	2	3	4	5	6	7	8
(5)	ललित कला संकाय						
	• झाईंग एण्ड पेंटिंग	(510)	100	—	—	33 अंक	—
	• स्टिल लाईफ एण्ड पेन्ट मेकिंग	(520)	100	—	—	33 अंक	—
	• हिस्ट्री ऑफ इण्डियन आर्ट एण्ड वर्ल्ड आर्ट	(530)	100	—	—	33 अंक	—
(6)	गृहविज्ञान संकाय						
	• आहार एवं पोषण	(610)	100	75	25	25 अंक	08 अंक
	• शरीर क्रिया विज्ञान एवं प्राथमिक चिकित्सा	(620)	100	75	25	25 अंक	08 अंक
	• विज्ञान के तत्व	(631)	100	75	25	25 अंक	08 अंक

II. आंतरिक परीक्षा

1. अतिरिक्त अनिवार्य विषय 'पर्यावरण अध्ययन' का विद्यालय स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन कर मण्डल के पोर्टल पर मण्डल द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार निर्धारित तिथि तक अनिवार्यतः की जावे। पर्यावरण अध्ययन की मूल्यांकन योजना पूर्ववत् यथावत् रहेगी।

—00—





छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा

प्रायोजना कार्य हेतु आवश्यक निर्देश

1. प्रायोजना कार्य का आंतरिक मूल्यांकन शालेय स्तर पर विषय शिक्षक द्वारा किया जावेगा। अतः मण्डल द्वारा बाह्य परीक्षक की नियुक्ति नहीं की जावेगी।
2. आंतरिक मूल्यांकन हेतु उत्तरपुस्तिका माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा प्रदत्त नहीं की जायेगी।
3. प्रायोजना कार्य का आंतरिक मूल्यांकन पूर्णतः विद्यालय स्तर पर, विद्यालयीन संसाधनों द्वारा किया जायेगा। अतः इन विषयों के लिये शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. मण्डल द्वारा विषयवार प्रायोजना कार्य की वार्षिक आंतरिक परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देश मण्डल की वेबसाईट www.cgbse.nic.in पर यथासमय उपलब्ध कराये जावेंगे।
5. आंतरिक मूल्यांकन पश्चात् अंकों की प्रविष्टि मण्डल द्वारा निर्धारित तिथि अनुसार मण्डल के पोर्टल पर की जावेगी।
6. विद्यार्थियों द्वारा किये गये प्रायोजना कार्य का रिकार्ड विद्यालय में 01 वर्ष तक सुरक्षित रखना होगा।

टीप :-

1. हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के नियमित छात्रों की प्रायोगिक/आंतरिक मूल्यांकन (प्रायोजना) की संभावित तिथि 01.01.2026 से 20.01.2026 तक है। अतः उक्त अवधि में प्रायोगिक एवं प्रायोजना कार्य सम्पन्न करा लिये जावे।
2. संस्था द्वारा प्रायोगिक परीक्षा एवं प्रायोजना कार्य उपरांत निर्धारित अवधि में अंको की आनलाईन प्रविष्टि मण्डल के पोर्टल पर मण्डल द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार निर्धारित तिथि तक अनिवार्यतः की जावे।

विशेष नोट :- आनलाईन प्रविष्टि बहुत ही गंभीरता एवं जिम्मेदारी पूर्वक की जावे। त्रुटिपूर्ण होने पर किसी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं किया जाएगा। जिसके लिए छ0 ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर जवाबदेह नहीं होगा।

—00—

Shankar
Be



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

विशेष निर्देश

1. प्रत्येक विद्यार्थी को सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा में पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
2. प्रश्न पत्र केवल हिन्दी तथा अंग्रेजी माध्यम में ही उपलब्ध कराये जावेंगे, किन्तु विद्यार्थी को हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू माध्यम में उत्तर देने का विकल्प रहेगा।
3. विभिन्न श्रेणी के लिये न्यूनतम उत्तीर्णांक निम्नानुसार है :-
 - (अ) प्रथम श्रेणी - 60% एवं उससे अधिक
 - (ब) द्वितीय श्रेणी - 45% एवं उससे अधिक किन्तु 60% से कम
 - (स) तृतीय श्रेणी - 33% एवं उससे अधिक किन्तु 45% से कम
4. किसी भी विषय में विशेष योग्यता हेतु 75% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
5. जिन विषयों में प्रायोजनाएँ हैं उनका विद्यालय स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन किया जाना सुनिश्चित करें तथा जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षाएँ हैं, उनकी परीक्षाएँ मण्डल द्वारा बाह्य परीक्षक नियुक्त कर सम्पन्न कराई जायेगी।
6. पाठ्यक्रम/अध्यापन योजना/ब्लूप्रिंट की जानकारी ब्लूप्रिंट मण्डल की वेबसाइट www.cgbse.nic.in पर उपलब्ध है।
7. किसी विशेष प्रकरण में अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल का निर्णय अंतिम होगा।

—00—

Sharma

[Signature]



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

नवीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम

शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कुल 652 विद्यालयों में नवीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित है।

प्रवेश

नवीन व्यावसायिक हाई/हायर सेकण्डरी पाठ्यक्रम में प्रवेश छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रवेश नियम अनुसार ही होगा। कक्षा ग्यारहवीं में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी विषय परिवर्तन कर व्यावसायिक विषय का चयन कर सकता है। इसके अतिरिक्त कक्षा 12वीं में छात्र व्यावसायिक विषय के स्थान पर द्वितीय भाषा का चयन कर सकता है।

पाठ्यक्रम/विषय सूची

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं छ0ग0 शासन के निर्देशानुसार, पं. सुन्दर लाल शर्मा व्यावसायिक शिक्षा संस्थान द्वारा मुद्रित पाठ्यक्रम को मण्डल द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार स्वीकृत कर विद्यालयों में संचालित किया गया है। हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी में निम्नानुसार विषय संचालित किये जा रहे हैं :-

I. हाईस्कूल हेतु L1 तथा L2

क्र.	विषय का नाम	कोड	पाठ्यक्रम	विशेष
1	Organized retailing	901	हाईस्कूल	सत्र 2014-2015 से प्रारंभ
2	Information Technology	902		
3	Automobile service Technician	903		
4	Health care	904	हाईस्कूल	सत्र 2015-2016 से प्रारंभ
5	Agriculture	905		
6	Media and Entertainment	906	हाईस्कूल	सत्र 2016-2017 से प्रारंभ
7	Telecommunication	907		
8	Banking Financial Service and Insurance (BFSI)	908		
9	Beauty and Wellness	909	हाईस्कूल	सत्र 2018-2019 से प्रारंभ
10	Electronics & Hardware	910		
11	Apperals- Made ups & Home furnishing	911	हाईस्कूल	सत्र 2024-2025 से प्रारंभ
12	Construction	912		
13	Plumbing	913		
14	Power	914		
15	Tourism & Hospilality	915		

Alka Jain *Sharma*



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

II. हायर सेकण्डरी हेतु L3 तथा L4

क्र.	विषय का नाम	कोड	पाठ्यक्रम	विशेष
1	Retail marketing management	951	हायर सेकण्डरी	सत्र 2016-2017 से प्रारंभ
2	Information Technology	952		
3	Automobile Service Technician	953		
4	Health care	954	हायर सेकण्डरी	सत्र 2017-2018 से प्रारंभ
5	Agriculture	955		
6	Media and Entertainment	956	हायर सेकण्डरी	सत्र 2018-2019 से प्रारंभ
7	Telecommunication	957		
8	Banking Financial Services and Insurance (BFSI)	958		
9	Beauty and Wellness	959	हायर सेकण्डरी	सत्र 2020-2021 से प्रारंभ
10	Electronics & Hardware	960		

नवीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम हाईस्कूल परीक्षा योजना

नवीन व्यावसायिक हाईस्कूल पाठ्यक्रम की परीक्षा योजना सामान्य हाईस्कूल पाठ्यक्रम से भिन्न है। नवीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम हाईस्कूल के अंतर्गत चयनित विषय में 100 अंक की सैद्धांतिक परीक्षा जिसका 30% अधिभार एवं 100 अंक की प्रायोगिक परीक्षा जिसका 70% अधिभार परीक्षा परिणाम में मान्य होगा। इस विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दोनों परीक्षाओं में पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

इस पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थी तीन भाषाओं में से एक भाषा के स्थान पर नवीन व्यावसायिक विषय का चयन कर सकेगा, शेष अन्य विषय गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान अनिवार्य होंगे। इस विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा, मण्डल द्वारा आयोजित की जाती है जिसका 70% अधिभार अंकसूची में शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त सेक्टर स्किल कौंसिल (SSC) के द्वारा भी अलग से प्रायोगिक परीक्षा ली जावेगी जिसके उत्तीर्ण होने पर (SSC) द्वारा अलग से प्रमाण पत्र दिया जावेगा जो कि भारत में कहीं भी रोजगार पाने के लिए वैध होगा।

प्रायोगिक परीक्षा हेतु बाह्य परीक्षक की नियुक्ति कक्षा 9वीं के लिये विद्यालय स्तर पर तथा कक्षा 10वीं के लिए मण्डल द्वारा की जावेगी।

Alka Jais
Sharma



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

नवीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम

हाईस्कूल परीक्षा योजना

मण्डल का आदेश क्रमांक 841/दिनांक 10.04.2018 अनुसार विद्यार्थी भाषा समूह में से कोई 02 भाषा और एक नवीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम में से किसी एक विषय का चयन कर अध्ययन कर सकता है।

सैद्धांतिक परीक्षा

क्र.	विषय का नाम	अंक विभाजन		कुल अंक
		सैद्धांतिक	प्रायोगिक	
1	चयनित भाषा	75	25	100
2	चयनित भाषा	75	25	100
3	नवीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम से कोई एक विषय	[100 (30% Weightage)] 30	[100 (70% Weightage)] 70	100
4	गणित	75	25	100
5	विज्ञान	75	25	100
6	सामाजिक विज्ञान	75	25	100
	कुल	405	195	600

प्रायोगिक परीक्षा

क्र.	मूल्यांकन विधि	अंको का अधिभार	मूल्यांकनकर्ता
1	प्रायोगिक लिखित परीक्षा	30	वाह्य परीक्षक
2	मौखिक परीक्षा	10	वाह्य परीक्षक
3	प्रत्यक्ष क्षेत्र अवलोकन	10	आंतरिक शिक्षक
4	प्रोजेक्ट	30	आंतरिक शिक्षक
5	क्विक टेस्ट	10	वाह्य परीक्षक
6	पोर्टफोलियो	10	आंतरिक शिक्षक
	योग	100	

Alka Jain
Sharma



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

नवीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम हायर सेकण्डरी परीक्षा योजना

नवीन व्यावसायिक हायर सेकण्डरी पाठ्यक्रम योजना मण्डल के सामान्य हायर सेकण्डरी योजना के अनुसार ही संचालित होगा। हायर सेकण्डरी परीक्षा में नवीन व्यावसायिक विषय के अंतर्गत दो भाषा में से एक भाषा की छूट प्रदान की गयी है अर्थात् विद्यार्थी दो भाषा में से एक भाषा के स्थान पर किसी एक नवीन व्यावसायिक विषय का चयन कर सकता है तथा दो भाषा में से छोड़ी गयी एक भाषा को अतिरिक्त विषय के रूप में लेकर परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। अतिरिक्त विषय के अंक परीक्षा परिणाम में नहीं जोड़े जायेंगे।

नवीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत चयनित विषय की परीक्षा योजना हाईस्कूल व्यावसायिक विषय के अनुरूप ही रहेगी जिसमें 100 अंक की सैद्धांतिक परीक्षा जिसका 30% अधिभार एवं 100 अंक की प्रायोगिक परीक्षा जिसका 70% अधिभार परीक्षा परिणाम में मान्य होगा इस विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दोनों परीक्षाओं में अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। शेष नियम मण्डल के हायर सेकण्डरी के पाठ्यक्रम के अनुसार होंगे।

सैद्धांतिक परीक्षा

क्र.	विषय का नाम	अंक विभाजन		कुल अंक
		सैद्धांतिक	प्रायोगिक/प्रायोजना	
1	भाषा समूह में चयनित कोई एक भाषा (हिन्दी अथवा अंग्रेजी)	हायर सेकण्डरी परीक्षा योजना अनुसार	हायर सेकण्डरी परीक्षा योजना अनुसार	100
2	नवीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम में से कोई एक विषय	(100 30% Weightage) 30	(100 70% Weightage) 70	100
3	संकाय समूह – (कला/विज्ञान/वाणिज्य/गृह विज्ञान/ललित कला/कृषि) में से कोई तीन विषय	हायर सेकण्डरी परीक्षा योजना अनुसार	हायर सेकण्डरी परीक्षा योजना अनुसार	100x3=300
			कुल अंक	500

नोट :- छात्र कोई एक विषय ऐच्छिक अतिरिक्त विषय के रूप में ले सकता है, अर्थात् छात्र छोड़ी गयी भाषा या नियमानुसार अन्य विषय ले सकता है।

प्रायोगिक परीक्षा

क्र.	मूल्यांकन विधि	अंको का अधिभार	मूल्यांकनकर्ता
1	प्रायोगिक लिखित परीक्षा	30	वाह्य परीक्षक
2	मौखिक परीक्षा	10	वाह्य परीक्षक
3	प्रत्यक्ष क्षेत्र अवलोकन	10	आंतरिक शिक्षक
4	प्रोजेक्ट	30	आंतरिक शिक्षक
5	क्विक टेस्ट	10	वाह्य परीक्षक
6	पोर्टफोलियो	10	आंतरिक शिक्षक
	योग	100	

Alka Jain *Sharma* 17



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

प्रमाण पत्र

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों हेतु प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

कक्षा	स्तर	प्रमाण पत्र	समतुल्यता	प्रमाण पत्र प्रदान करने वाली संस्था
IX	L1	NCWP-1	GRADE-IX	school Board and SSC
X	L2	NCWP-2	GRADE-X	school Board and SSC

कक्षा	स्तर	प्रमाण पत्र	समतुल्यता	प्रमाण पत्र प्रदान करने वाली संस्था
XI	L3	NCWP-3	GRADE-XI	school Board and SSC
XII	L4	NCWP-4	GRADE-XII	school Board and SSC

SSC = Sector skill councils

NCWP = National Certificate for work preparation

उपरोक्त परीक्षा योजना के तहत विद्यार्थियों का आकलन होगा। साथ ही National Vocational Education Qualitative Framework (NVEQF) के निर्देशानुसार व्यावसायिक शिक्षा का सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक पाठ्यक्रमों का अध्यापन कम से कम कुल 200 घंटे निर्धारित है। संस्था के प्राचार्य इसे सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित घण्टों का अध्यापन हो। समय-समय पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा निरीक्षण किया जावेगा।

अन्य गतिविधि

नवीन व्यावसायिक हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी पाठ्यक्रम में अन्य समस्त गतिविधि मण्डल के सामान्य हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी पाठ्यक्रम के नियम एवं शर्तों के अनुरूप होगी।

टीप :-छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी की परीक्षाओं के ब्लूप्रिंट तथा प्रश्नपत्र प्रारूप मण्डल की वेब साइट www.cgbse.nic.in के शैक्षणिक (परीक्षा) Tab पर उपलब्ध है।

Alka Jain
Shanku



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

● केन्द्रीय क्षेत्रीय छात्रवृत्ति हेतु प्रावधान एवं लाभ

भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली द्वारा कक्षा 12वीं की परीक्षा में 80 परसेंटाइल (Percentile) या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रधानमंत्री उत्कृष्ट शिक्षा प्रोत्साहन (PM-USP केन्द्रीय क्षेत्रीय छात्रवृत्ति) योजनान्तर्गत प्रदान की जा रही है। इसके विस्तृत दिशा-निर्देश मण्डल की वेबसाइट www.cgbse.nic.in पर उपलब्ध है। सामान्य जानकारी निम्नानुसार है –

- उक्त छात्रवृत्ति कक्षा 12वीं मानविकी, वाणिज्य एवं विज्ञान विषय के विद्यार्थियों हेतु है।
- उक्त छात्रवृत्ति उन्हीं विद्यार्थियों को प्रदान की जावेगी जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 4.50 लाख से अधिक न हो।
- विद्यार्थी की आयु 18 वर्ष से 25 वर्ष के मध्य हो।
- कक्षा 12वीं के बाद भी विद्यार्थी उच्च शिक्षा हेतु नियमित अध्ययनरत हो।
- उक्त छात्रवृत्ति प्रथम तीन वर्ष (स्नातक स्तर पर) 12,000/- प्रतिवर्ष तथा इसी अनुक्रम में (स्नातकोत्तर स्तर पर) दो वर्ष में नियमित अध्ययन करने पर 20,000/- दी जायेगी।
- छात्रवृत्ति के नवीन एवं नवीनीकरण के लिए प्रत्येक वर्ष आवेदन किया जाना अनिवार्य है। नवीन एवं नवीनीकरण हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट www.scholarships.gov.in पर विद्यार्थी स्वयं Online आवेदन कर सकते हैं।

● हेल्प लाईन

हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी परीक्षा अवधि में परीक्षा प्रारंभ होने के 07 दिवस पूर्व से परीक्षा के अंतिम दिवस तक तथा परीक्षा परिणाम की घोषणा के 07 दिन पूर्व से लगभग 15 दिवस तक विद्यार्थियों की समस्याओं का त्वरित समाधान मण्डल की ओर से हेल्प लाईन नम्बर 18002334363 पर किया जाता है तथा विषय चयन/कैरियर संबंधी मार्गदर्शन दिया जाता है।

● कृपांक नीति

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के आदेश क्रमांक 114/विद्यो0/2023 रायपुर दिनांक 28.07.2023 में मण्डल की कृपांक नीति जारी की गई, जो निम्नानुसार है :-

- परीक्षा उत्तीर्ण करने लिये अधिकतम कृपांक 20 अंक होंगे।
- कृपांक का लाभ अधिकतम तीन विषयों में दिया जा सकेगा। तीन से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होने पर कृपांक का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- किसी भी विषय में कुल अंकों का अधिकतम 10% तक ही कृपांक दिया जायेगा
उदाहरणार्थ – 100 अंकों के सैद्धांतिक प्रश्नपत्र में अधिकतम – 10 अंक
75/80 अंकों के सैद्धांतिक प्रश्नपत्र में अधिकतम – 08 अंक
70 अंकों के सैद्धांतिक/प्रायोगिक प्रश्नपत्र में अधिकतम – 07 अंक
30 अंकों के सैद्धांतिक/प्रायोगिक प्रश्नपत्र में अधिकतम – 03 अंक
25 अंकों के प्रायोगिक प्रश्नपत्र में अधिकतम – 02 अंक
20 अंकों के प्रायोजना प्रश्नपत्र में अधिकतम – 02 अंक
कृपांक के रूप में दिये जा सकेंगे।
- उक्त कृपांक नीति मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त परीक्षाओं हेतु लागू होगी।
- कृपांक का लाभ अतिरिक्त विषय में नहीं दिया जायेगा।



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

(खेलकूद, एन0सी0सी0, स्काउट/गाइड, एन0एस0एस0 एवं उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम/साक्षरता कार्यक्रम के स्वयंसेवक/अनुदेशक हेतु परीक्षाओं में बोनस अंक विषयक)

अतः छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर द्वार प्रेषित आदेश क्रमांक/2319/2189/2024/20-तीन, नवा रायपुर, दिनांक 17.12.2024 के निर्देशानुसार सत्र 2024-25 में बोनस अंक प्रदान किए जाने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा जारी नियम पुस्तिका के बिन्दु क्रमांक (1) बोनस अंक हेतु प्रस्तावित गतिविधियों के स.क्र. 05, बिन्दु क्रमांक 08 एवं बोनस अंक हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची-प्रपत्र-V(A) कक्षा 10वीं तथा सूची-प्रपत्र- V(B) कक्षा 12वीं में निम्नानुसार संशोधन किया गया है। अतः बोनस अंक हेतु प्रस्तावित गतिविधियों के स्तर के आधार पर बोनस अंकों का वितरण निम्नानुसार है-

● बोनस अंक हेतु प्रस्तावित गतिविधियाँ:- बोनस अंको का वितरण -

स.क्र.	गतिविधि का नाम	स्तर के अनुसार अंक वितरण					
1.	खेलकूद व्यक्तिगत एवं टीम खेल पदक प्राप्त	राज्य	राष्ट्रीय	अंतर्राष्ट्रीय			
		10 अंक	15 अंक	20 अंक			
2.	एन0 सी0 सी0	आर0डी0 परेड	मावलंकर शूटिंग	वायु सैनिक	नौसेना कैम्प	थलसेना कैम्प	डी0 कैट कैम्प
		15 अंक		15 अंक	15 अंक		10 अंक
3.	एन0 एस0 एस0	आर0डी0 परेड					
		15 अंक					
4.	स्काउट/गाइड	राज्यपाल	राष्ट्रपति				
		10 अंक	15 अंक				
5.	उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम/साक्षरता कार्यक्रम के स्वयंसेवक/अनुदेशक	प्रशिक्षित हों, पंजीकृत हो, 10 असाक्षरों को उल्लास प्रवेशिका का अध्यापन कराकर शिक्षार्थी आंकलन में उत्तीर्ण कराया हो।					
		10 अंक					

● पात्रता हेतु सामान्य शर्त :-

1. खेलकूद, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0 स्काउट/गाइड/उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम/साक्षरता कार्यक्रम के स्वयंसेवक/अनुदेशक बोनस अंक का लाभ उपलब्धि प्राप्त सत्र में ही दिया जाएगा।
2. खेलों में प्रथम से तृतीय स्थान तक समान लाभ दिया जाएगा।
3. बोनस अंक का लाभ केवल सैद्धांतिक परीक्षाओं के लिए ही दिया जाएगा।

Mang *Shauha*
20

4. बोनस अंक का लाभ केवल एक बार मुख्य परीक्षा में प्रदाय किया जाएगा परीक्षार्थियों को बोनस अंक मुख्य परीक्षा में परीक्षाफल उत्तीर्ण होने की दशा में ही अनुत्तीर्ण विषयों में आवश्यकता अनुसार अंक जोड़ा जायेगा। तथा शेष अंक महायोग में सम्मिलित किया जायेगा। अथवा अनुत्तीर्ण होने की दशा में पात्रता अनुसार बोनस अंक महायोग में जोड़ा जायेगा। यदि परीक्षार्थी पहले से ही समस्त विषयों में उत्तीर्ण है, तो बोनस अंक महायोग में जोड़ा जायेगा। यदि परीक्षार्थी पूरक अथवा क्रेडिट योजना के तहत आगामी परीक्षा में सम्मिलित होता है, तो परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त बोनस अंक स्वमेव निरस्त हो जायेगा। मण्डल से मान्यता प्राप्त विद्यालय के नियमित छात्र को ही इस योजना का लाभ दिया जायेगा।
5. खेलकूद, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, स्काउट/गाइड एवं उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम/साक्षरता कार्यक्रम के स्वयंसेवक/अनुदेशक गतिविधि में व्यतीत कार्य दिवसों एवं विद्यालय में उपस्थिति का योग मण्डल के नियमानुसार होना चाहिए। मण्डल के परीक्षा में प्रवेश संबंधी नियमों में विद्यार्थी की उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होता है विशेष परिस्थिति में अधिकतम 10 प्रतिशत की उपस्थिति मण्डल के नियमानुसार शिथिलनीय होगी।
6. गतिविधियों में संलग्न छात्रों को प्रायोगिक परीक्षाओं हेतु आवश्यक होने पर पृथक से समय दिया जाएगा।
7. भारतीय ओलम्पिक संघ युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार/स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं एवं खेल संघों तथा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ और खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन से प्रदत्त प्रमाण पत्रों एवं मान्यता प्राप्त खेलों के विद्यार्थियों को ही बोनस अंक प्रदान किया जाएगा।
8. स्कूल गेम्स एवं मान्यता प्राप्त संघों द्वारा आयोजित ओपेन गेम्स में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को भी बोनस अंक की पात्रता होगी।
- **बोनस अंक नीति :-** माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा खेलकूद/एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काउट गाइड/उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम/साक्षरता कार्यक्रम के स्वयंसेवक/अनुदेशक को विभिन्न स्तरों पर निर्धारित बोनस अंको का वितरण निम्नानुसार किया जावेगा।
 1. बोनस अंको का वितरण समस्त विषयों में किया जा सकेगा (अतिरिक्त विषय में बोनस अंक की पात्रता नहीं होगी।
 2. कृपांक नीति के अतिरिक्त बोनस अंको का लाभ विद्यार्थी को दिया जायेगा।
उदाहरण :- यदि कोई विद्यार्थी सभी विषयों में अनुत्तीर्ण है ऐसी दशा में छात्रहित में कृपांक प्राप्त करने वाले विषयों में भी निर्धारित बोनस अंक में से आवश्यकतानुसार बोनस अंक दिये जावें।
 3. उत्तीर्ण होने की स्थिति में महायोग में बोनस अंको को जोड़ा जावे।

उदाहरण :- 310/500 है तो उसे 310+10 = 320/500 प्रदर्शित किया जावेगा।

4. अंक के सम्मुख (#) चिन्ह अंकित किया जावेगा।
5. समस्त विषयों में उत्तीर्ण होने पर महायोग में बोनस अंको को जोड़कर श्रेणी प्रदान किया जावेगा।

6. बोनस अंक जोड़कर पूर्णांक से अधिक नहीं होना चाहिए।

उदाहरण :-495/500, यदि 10 अंक देने है तो अधिकतम 05 अंक जोड़ना है।

7. सभी विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को कृपांक के साथ बोनस अंकों का लाभ उत्तीर्ण होने की दशा में ही माध्यमिक शिक्षा मण्डल के नियमानुसार दी जायेगी।

बोनस अंको का विभाजन निम्न प्रकार से किया जावे

(i) परीक्षार्थी का परीक्षाफल उत्तीर्ण होने के दशा में ही उत्तीर्ण होने के लिये आवश्यक अंक संबंधित विषय में जोड़े जावे। अतिरिक्त विषय में बोनस अंक या कृपांक की पात्रता नहीं होगी।

(ii) शेष अंक महायोग में जोड़े जावे।

8. एक से अधिक गतिविधि में प्रदर्शन की स्थिति में खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट/गाइड/उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम/साक्षरता कार्यक्रम के स्वयंसेवक/अनुदेशक में से किसी एक में जिसमें प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है, का चयन कर विद्यार्थी को निर्धारित बोनस अंक प्रदान किया जा सकेगा।

- उल्लास नव भारत कार्यक्रम/साक्षरता कार्यक्रम के अनुदेशकों को परीक्षा बोनस अंक देने हेतु शर्तें निम्नानुसार होगी :-

(i) स्वयंसेवक उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत पंजीकृत हो।



(ii) उसके द्वारा स्वयंसेवक का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया हो।

(iii) शैक्षणिक सत्र के दौरान उसके द्वारा न्यूनतम 10 असाक्षरों को उल्लास प्रवेशिका का पठन-पाठन पूर्ण किया हो।

(iv) स्वयंसेवक द्वारा पढ़ाये गये न्यूनतम 10 असाक्षर शिक्षार्थी आंकलन परीक्षा में सम्मिलित हुए हो तथा सफल/उत्तीर्ण हुए हो।

(v) जिला शिक्षा अधिकारी एवं सदस्य सचिव/जिला परियोजना अधिकारी, जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण से उपर्युक्तानुसार स्वयंसेवकों की सत्यापित सूची प्राप्त होने पर संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल को बोनस अंक प्रदान करने हेतु प्रदाय की जावेगी।

- बोनस अंक प्रदान करने की इस नीति में निर्वचन/संशोधन करने का अधिकार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल को होगा।




छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर


महत्वपूर्ण निर्देश :-

बोनस अंक नियम पुस्तिका अनुसार "संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी राज्य प्रमुख/विभाग से प्राप्त निर्धारित प्रपत्रों में विद्यार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण कर सचिव, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को प्रेषित की जावेगी। छ0 ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त प्रमाणित निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त अंको की प्रविष्टि, संबंधित विद्यार्थी की अंकसूची में परीक्षा परिणाम के समय किया जावेगा।"

अतः बोनस अंक प्रदान करने हेतु संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर से छात्रों की सूची प्रमाणीकरण कर मण्डल कार्यालय को उपलब्ध करायी जाती है तथा प्राप्त सूची में अंकित छात्र/छात्राओं को ही माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा बोनस अंक प्रदान किया जाता है।

टीप : बोनस अंक सम्बंधी आवेदन एवं पात्रता हेतु सामान्य शर्तें व विस्तृत जानकारी मण्डल की वेबसाईट www.cgbse.nic.in पर उपलब्ध हैं।


E. Mung
Shauha


(श्रीमती पुष्पा साहू, I.A.S.)
सचिव
छ0 ग0 माध्यमिक मण्डल
रायपुर